न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
68/2017	धारा 91 एल.आर. एक्ट	30.8.17	16.10.17

उनवान सरकार बनाम ओम प्रकाश पुत्र दीपाराम जाति जाट नि0 परड़ाना कला बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनु।

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मामला संक्षित में इस प्रकार है। पटवारी हल्का ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम परड़ाना कला की राजकीय भुमि गै0मु0 जोहड़ ख0न0 329 रकबा 1.34 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 1.00 है0 भुमि पर अतिकमी श्री ओम प्रकाश पुत्र दीपाराम जाति जाट नि0 परड़ाना कला ने अवैध रूप से टीन का ढारा बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त हाने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भु0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित होकर प्रा0पत्र पेश किया गया जो पत्रावली शामील किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है व जेर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये टीन का ढारा बनाकर किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 0.62 का अतिकमण शुदा भूमी के लगान 1.00 की 60 गुणा जुर्माना राशि 60/-रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली/टैन शैट की निलामि कर निलामि राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 16.10.17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बुहाना जिला झुंझुनु

Scanned with CamScanner